शिक्षा में निजीकरण (पी.पी.पी.) एवं कक्षा में नहीं रोकना (No Detention)

मुद्द पर राज्य स्तरीय विमर्श

एक दिवसीय कार्यशाला

प्रतिवेदन

स्थान : विकास अध्ययन केन्द्र, जयपुर **दिनांक : 28 सितम्बर, 2015**

शिक्षा में निजीकरण (पी.पी.पी.) एवं कक्षा में नहीं रोकना (No Ditention) मुद्द पर 28 सितम्बर, 2015 को विकास अध्ययन संस्थान झालाना डूंगरी जयपुर में राज्य स्तरीय विमर्श एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शिक्षा का अधिकार मंच राजस्थान, सेव दा चिल्ड्रन जयपुर, विकास अध्ययन संस्थान राजस्थान, राजस्थान बाल अधिकार साझा संरक्षण अभियान, ज्ञान–विज्ञान समिति राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान किया गया। जिसमें बिहार समान स्कूल प्रणाली आयोग बिहार के पूर्व अध्यक्ष प्रो. मुचकुन्द दुबे, राजस्थान शिक्षा सचिव श्री कुंजीलाल मीणा, प्रोफेसर अनिता रामपाल, राजस्थान पत्रिका से श्रीमती शिप्रा, शिक्षा के अधिकार मंच के राष्ट्रीय समन्वयक अम्ब्रिश राय, प्रोफेसर शोभिता रामगोपाल, डॉ. व्यास, कोमल श्रीवास्तव एवं श्री नूर मौहम्मद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं शिक्षाविद्वों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यशाला में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के अधिकार कानून पर विचार–विमर्श करते हुए प्रो. मुचकुन्द दुबे ने बताया कि विकसित देशों में भी शिक्षा को निजी हाथों में नहीं सौंपा गया है, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जिसमें निजीकरण द्वारा किसी देश में अनिवार्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता की गई हो। दुनिया के जिन देशों में शिक्षा की स्थिति मजबूत है वहां के स्कूल सरकार द्वारा ही संचालित और नियंत्रित है। निजीकरण से निशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। निजीकरण या बाजारीकरण से समानता आधारित शिक्षा की कल्पना बेमानी है।

प्रो. दुबे ने कहा कि सरकार द्वारा पोषित, नियत्रंण व संचालन से ही शिक्षा के तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकार कानूनी ढंग से निर्धारित है, जिसमें राज्य देने वाला है और लेने वाला नागरिक है। बाजारीकरण के बाद कानून का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

शिक्षा के अधिकार मंच राजस्थान के राज्य समन्वयक नूर मोहम्मद ने बताया कि राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन 28 सितम्बर को विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में शिक्षा का अधिकार मंच राजस्थान, भारत

ज्ञान–विज्ञान समिति, सेव दा चिल्ड्रन, विकास अध्ययन संस्थान और राजस्थान बाल अधिकार साझा संरक्षण अभियान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सेमीनार में राज्य भर से स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों व मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव कुंजी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का मतलब सीखने से है। शिक्षा के अधिकार कानून में भी स्कूल जाना, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और सीखने का उल्लेख किया गया है। कक्षा के अनुरूप बच्चे का स्तर ना होने पर ही उसे रोकने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शाला प्रबन्धन समिति को और अधिकार देकर

मजबूत किया जाने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार से अभिभावक भी बिना सीख कर कक्षा में पास करने का विरोध कर रहे है। शिक्षकों की सक्रियता से बच्चों को सिखाया जा सकता है। शिक्षकों व अभिभावकों के आपसी समन्वयन और सहयोग से बच्चों को सिखाया जा सकता है। सरकार ने विधानसभा में शिक्षा के अधिकार कानून में पांच संशोधन कर केन्द्र सरकार को भेजे है, क्योंकि ये केन्द्रीय कानून है और राज्य अपने स्तर पर इस कानून में कोई बदलाव नहीं कर सकता।

शिक्षा के अधिकार मंच के राष्ट्रीय समन्वयक अम्बरीष राय ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून को सरकार बिना संसाधनों के लागू करना चाहती है, शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत बजट खर्च होना चाहिए होता है 3–4 प्रतिशत। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 41 प्रतिशत बच्चे ही प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर पाते है शेष बच्चे शाला त्याग देते है।

राजस्थान की सरकार ने तकरीबन 17000 स्कूलों को बंद कर दिया और अब वो स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के लिए नीतियां ला रही है। यह गंभीर विषय है। राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों से संबंधित अन्य योजनाओं का निजीकरण करने में अंग्रेजी राज्य की भूमिका निभा रहा है जिसे आम नागरिक, अभिभावक, शिक्षक और युवाओं को सम्मिलित कर रोकना

होगा। शिक्षा के निजीकरण से गरीबों, वंचितों दलितों और अल्पसंख्यकों के 3 चौथाई बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।

दिल्ली विश्व विद्यालय की प्रो. अनिता रामपाल ने कहा कि सीखने को सीमित दायरे में देखने की बजाय बड़े सन्दर्भ में देखने की जरूरत है। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की दक्षताओं क ो आठ वर्ष में सीखने की आजादी देता है। जो पहले एक वर्ष ही सीमित थी। अब बच्चा और शिक्षक दोनों भयमुक्त माहौल में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा रह सकते है। हम बच्चे को फैल क्यों करना चाहते है। फैल का डर ही बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधक है।

उरमूल संस्था के संचालक अरविंद ओझा ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के बाद बच्चों को फे ल, पास होने का दोष बच्चे अभिभावक पर डाला जा रहा है, जबकि इसका जिम्मेदार तो शिक्षक या शिक्षा की व्यवस्था है। राजस्थान में रेगीस्तान, मारवाड, मेवात और हाडौती की अलग–अलग स्थितियां है, सरकार को इन क्षेत्रों की स्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाकर सबकी शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए।

कार्यक्रम में शोभिता राजगोपाल, कोमल श्रीवास्तव, संजय शर्मा, विजय गोयल, राजाराम भादु, विशम्बर ने भी अपने विचार रखकर सरकार की इन दोनों नीतियों पर विरोध प्रकट किया और सरकार से निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने की बजाय खुद के स्कूलों पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया।

सरकार की सरकारी स्कूलों का बंद कर या हतोत्साहित कर प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन देने की नीति का सबने विरोध किया।